



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-12.08.2025

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 03.08.2025 को थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 11.08.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. अर्शदीप सिंह पुत्र सुखसा सिंह उर्फ सुखविन्दर निवासी बस्ती मौहम्मद अली शाह थाना ममधोट जनपद फिरोजपुर पंजाब।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 137 ग्राम चरस बरामद:-

दिनांक 11.08.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 137 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.सद्दाम उर्फ सद्दू पुत्र इनाम निवासी मौहल्ला कलन्दरशाह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 137 ग्राम चरस।



थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 12.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अमरेश पाल पुत्र सुक्कड़ उर्फ चतर सिंह निवासी ग्राम भाज्जू थाना बाबरी जनपद शामली।



थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद:-

आज दिनांक 12.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.देव कुमार पुत्र विजयपाल उर्फ विज्जा निवासी ग्राम कैड़ी थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 चाकू।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 12.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.आवेश उर्फ पिल्लू पुत्र नूरदीन निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म कर गर्भपात कराने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत युवती के साथ दुष्कर्म कर गर्भपात कराने व धमकी देने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 08.08.2025 को थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर गर्भपात कराने व धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. अरविन्द पुत्र हरपाल निवासी ग्राम काशीपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर धमकी देने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 04.01.2025 को थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने व धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त मनोज व रविकान्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.अंकित कुमार उर्फ आशू पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम जाफरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 154 ग्राम चरस बरामद:-

दिनांक 11.08.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 154 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.सूफियान पुत्र अशरफ निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 154 ग्राम चरस।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामद:-

दिनांक 11.08.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शाहनवाज पुत्र खलील निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 4,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2003 में अभियुक्त फरजन्दा पुत्र इनायत अली निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 226/1991 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा व अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2023 में अभियुक्त फरियाद पुत्र दीन मौहम्मद निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 498/2023 धारा 379 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा व अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI